फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –73/2020

उनवानः– नवरतन बनाम गोपाल लाल

पत्रावली आज दिनांक 06.08.2020 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टी0 आई0 पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 280/1771 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 351/1789 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 352 रकबा 0.26 है0, 353 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 354 रकबा 0.82 है0, खसरा नंबर 354/1716 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लुनियावास भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, निर्माण आदि नहीं करनें हेतु पाबंद किया जाता है। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 19.08.2020 को पेश करे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 19/8/20 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 20/8/20 को पेश हो।

8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थी की ओर से प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा किये जाने पेश किया। [illegible] प्रार्थी का मूलवाद विड्रो से खारिज किया जा चुका है। प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद का है [illegible] अनुसरण में प्रार्थी का [illegible] विड्रा से खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दर्ज नंबर [illegible] 20/8/20 को [illegible] जाकर हो। निर्णय आज दिनांक 20/8/20 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner